भारत में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों का भौगोलिक विश्लेषण

डॉ. राघवेन्द्र पाण्डेय

भारत में खाद्य सुरक्षा एक विवशता नहीं आवश्यकता है। प्रस्तुत शोध पत्र में खाद्य सुरक्षा की अवधारणा, उसकी प्रमुख चुनौतियाँ एवं इसके समाधान के उपाय बताये गए है। इसकी प्रमुख चुनौतियाँ में तीव्र जनसंख्या वृद्धि व अत्यधिक गरीबी हैं। इसके साथ अन्य समस्याएं गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कमियाँ, सार्वजनिक वितररण प्रणाली में ब्याप्त भ्रष्टाचार एवं कृषि से सम्बन्धित समस्याएँ खाद्य समस्या के निदान में अन्य प्रमुख चुनौतियाँ हैं। इसके समाधान को देश के आम लोग एवं सभी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूप से सशक्त लोगों का सहयोग जरूरी है।

संकेतक शब्द: खाद्य सुरक्षा, कृषि वानिकी, खाद्य अवशोषण, पारिस्थैतिकी अनुकूलन, कुपोषण।

प्रस्तावना

जहाँ आज सम्पूर्ण विश्व वशै वीकरण की ओर अग्रसर हो चुका है आम नागरिक मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे है। खाद्यान्न संकट और भुखमरी की समस्या दुनिया की आर्थिक प्रगति को कम रही है।

भारत में भी जनसंख्या के काफी बड़े हिस्से की अनाजों को खरीदने की सामर्थ्य में समानुपातिक वृद्धि नहीं हो पायी है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसका त्वरित निदान जरूरी है। यह हमारे लिए शर्म की बात है। कि दुनिया के बड़ा अन्न भण्डार रखने वाले देशों में से एक भारत में लाखों लोगों को भरपेट भोजन उपलब्ध नहीं है। भारत की 2011 की जनगणना के अस्थायी आँकड़ों के अनुसार देश की जनसंख्या 120 करोड़ पार कर चुकी है। बढ़ती आबादी और उसकी चुनौतियाँ जनसांख्यिकी के साथ ही अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भूगोल और से भी जुड़ी हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो स्वतंत्रता के 70 वर्ष बीत जाने और तीब्र आर्थिक विकास होने के बावजूद लोग अन्न के लिए नहीं तरसते। वर्तमान समय में हमारा देश भी खाद्य समस्या से प्रभावित है। खाद्यान्नों की बढ़ती कीमतों के कारण खाद्यान्न गरीब

वर्ग की पहुँच से बाहर होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में देश के प्रत्येक नागरिक को खाद्यान्न सुरक्षा कवच प्रदान करना सरकार का दायित्व बन जाता है।

खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2.25 करोड़ से अधिक लोग भूख से पीड़ित हैं। 6 वर्ष तक की आयु के गरीब 15 करोड़ बच्चे देश का भविष्य हैं और उनमें कुपोषण का यह स्तर कतई स्वीकार्य नहीं है।'' भारत के नौनिहालों में कुपोषण की बीमारी गरीब सहारा अफ्रीकी देशों से दुगुनी ज्यादा है। (अमर उजाला, 2014)। खाद्यान्न उत्पादन में ठहरात की प्रवृत्ति और जनसंख्या वृद्धि के चलते भारत में खाद्य सुरक्षा एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आयी है। प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा की अवधारणा एवं उसके समक्ष प्रमुख चुनौतियों को उजागर करने के साथ–साथ उसके समाधान को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

खाद्य सुरक्षा की अवधारणा

प्राचीन समम से अकाल के कारण औपनविशिक काल में सरकारी अनियमितता के कारण भारत जैसे देश में सामुदायिक कृषि पर विपरीत प्रभाव पड़ा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना हमारे देश के नीति निर्माताओं का लक्ष्य रहा है। खाद्य सुरक्षा को अब आर्थिक और

सामाजिक रूप से संतुलित आहार प्राप्त करने, पेय जल की उपलब्धता, पर्यावरण की सफाई और स्वास्थ्यचर्चा के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। यद्यपि खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत खाद्य उत्पादन में वृद्धि, उत्पादकों यानि किसानों से अनाज खरीद का पुख्ता इंतजाम, अनाज के भण्डारण की उचित व्यवस्था और उसके वितरण का उचित प्रबंध जैसे तत्व भी सम्मिलित हैं।

डा0 एम0एस0 स्वामीनायन (कुरूक्षेत्र 2015) का मानना है कि सतत् खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें इस समस्या के तीन पक्षों पर एक साथ विचार करने की जरूरत है:

(क) **खाद्य उपलब्धता**: की अर्थात् खाद्य अपादन को बढ़ाकर इसे किया जाना चाहिये, जब बिल्कुल जरूरी हो तभी आयात किया जाय।

(ख) **खाद्य तक पहुँच**: क्रय शक्ति और रोजगार की स्थिति पर निर्भर है।

(ग) **खाद्य अवशोषण (अर्थात उपयोग):** इसके लिए स्वच्छ पेयजल साफ सफाई और स्वास्य सुरक्षा महत्वपूर्ण है।

पारंपरिक अवधारणा के आधार पर खाद्य उपलब्धता एवं स्थिरता को ही खाद्य सुरक्षा का माापक माना जाता रहा किन्तु वर्तमान में खाद्य उपलब्धता के आधार पर खाद्य ऊर्जा अंतर्ग्रहण को अधिक प्राथमिकता प्रदान की गयी है। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा हेतु खाद्य और गैर खाद्य कारकों को ध्यान में रखते हुए समन्वित दृष्टिकोण अपनाना होगा। विश्व विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार–''खाद्य सुरक्षा को सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर सक्रिय स्वस्स्थ जीवन के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्धता की गारण्टी प्रदान करना सम्मिलित है।'' विगत् कुछ वर्षो से खाद्य सुरक्षा की अवधारणा में परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ है। सभी मनुष्य जो कि इस पृथ्वी है पर उसे जीने कें लिए पौष्टिक आहार जरूरी है।

विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा पहले विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन में यह विचार व्यक्त किया गया कि ''खाद्य सुरक्षा वह स्थिति है जिसमें सब लोगों को अपनी आहार सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो और सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन बिताने के लिए अपनी पसंद का ऐसा भोजन प्राप्त करना उनके लिए भौतिक एवं आर्थिक दृष्टि से संभव हो।

चुनौतियाँ

भारत में भुखमरी और कुपोषण की स्थिति गंभीर समस्या के रूप में है (तालिका 1)। भारत का हर दूसरा बच्चा और दूसरी महिला खून की कमी से पीड़ित है।

तालिका 1: विश्व के विभिन्न देशो में भुख की स्थिति

क्र0सं0	देश क्षेत्र	भूख से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या
1.	विकासशील देश	825 लाख
2.	विकसित देश	16 लाख
3.	भारत	227 लाख
4.	उत्तरी अफ्रीका 31 लाख	31 लाख
5.	लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देश	42 लाख

स्त्रोत : योजना–2015

भारत में 2 करोड़ 27 लाख लोग भूख और कुपोषण के शिकार हैं। प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉ0 अमर्त्यसेन का मानना है कि– ''गरीबी और भुखमरी को जोड़कर देखना चाहिये।''

भारत में संकट यह नहीं है कि यहाँ अनाज का संकट या उत्पादन न्यूनतम स्तर पर आ गया है। असली संकट यह है कि यहाँ एक तिहाई से अधिक जनसंख्या के पास पैसा नहीं है कि वे अनाज खरीद क्रय कर भोजन कर सकें।जो गरीबी, भुखमरी और कुपोषण को बढ़ाते है। ये दोनों शारीरिक व मानसिक शक्तिहीनता को बढ़ाते हैं जिससे श्रम को सकल मात्रा व क्षमता दोनों कम हो जाती हैं यह स्थिति उत्पादन को घटाती है और न्यून उत्पादन गरीबी और बढ़ा देता है। इस प्रकार गरीबी और भुखमरी की कुचक्र आरम्भ हो जाता है।

भारत में जनसंख्या का तीव्रगति से बढ़ना सबसे बढ़ी समस्या जिससे यहाँ के लोगों को बेरोजगारी बढ़ी है। तथा क्रय शक्ति घट गयी है जिससे एक बहुत बड़ा भाग पोषण युक्त भोजन से वंचित हो रहा है। ''यह सचमुच राष्ट्रीय शर्म की बात है कि दुनिया की दूसरी सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देश में 42 प्रतिशत नौनिहालों (0–6 वर्ष) का वजन सामान्य से कम है और 59 प्रतिशत बच्चों की ऊँचाई भी निर्धारित पैमाने से कम है। कुपोषित बच्चों की यह संख्या तब और शर्मशार नजर आने लगती है कि दुनिया के हर तीन कुपोषित बच्चों में एक भारतीय है।

देश में कुपोषण से सर्वाधिक प्रभावित उत्तर प्रदेश हैं इसके अलावा बिहार, उड़ीसा राजस्थान, झारखण्ड की स्थिती काफी खराब है। पोषण की बेहतर स्थिति केरल और हिमाचल प्रदेश में है। देश की आबादी का 40 प्रतिशत से ज्यादा भाग आइरन, आयोडीन, विटामिन ए, विटामिन बी–12 एवं कैल्शियम की कमी से ग्रस्त है।

भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2015–16 के अनुसार 1990 से 2015–17 तक खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर 1.4 प्रतिशत ही रहा है और जनसंख्या की औसत वृद्धि 1.6 (वार्षिक) प्रतिशत से अधिक रही है। जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में खाद्यन्न उत्पादन वृद्धि दर कम है। दूसरी चिंता की बात अखाद्य फसलों की हिस्सेदारी है जो वर्ष 1980–81 में 36 प्रतिशत थी बढ़कर 2011–12 में 48 प्रतिशत तक पहुँच गयी है। विश्व बैंक की रिर्पोट 2015 के अनुसार मंहगे कीमत और अधिक लाभ देने वाली फसलों का उत्पादन बढ़ा है जबकि भोजन के लिए खाद्य वस्तुओं के उत्पादन में कमी आयी है। इसके अतिरिक्त जैव ईंधन की

बढ़ती कीमतों को दृष्टिगत रखते हुए किसान जैव ईंधन फसलों को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं जिसके कारण खाद्यान्न संकट उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण विज्ञानी वंदना शिवा के अनुसार ''यदि ज्यादा से ज्यादा जमीन औद्योगिक जैव ईंधन के काम में लाई जाती रही तो महज दो वर्षों के भीतर ही पूरी दुनिया को खाद्य आपदा झेलनी पड़ेगी। वर्ष 1950–51 में जहाँ 76 प्रतिशत भूमि पर खाद्यान्न फसलों की खेती होती थी वहीं 2003–04 में घटकर 65.6 प्रतिशत रह गयी। आज किसानों की उर्वर भूमि पर सेज (स्पेशल इकोनामिक जोन) बनाने के लिए दिक्कत या समस्याए हो रही है। जब वर्तमान फसल क्षेत्र ही देश की जनता की भूख को नही शांत कर पा रहे तो हजारों एकड़ उर्वर भूमि का औद्योगिक इस्तेमाल हो जाने से अनाज की आपूर्ति कहाँ तक तक संभव हो सकती है। औद्योगिक विस्तार और आबादी बढ़ने के साथ–साथ कृषयेत्तर कार्यों में भूमि की माँग बढ़ने से कृषित भूमि कक क्षेत्रफल में कमी आ रही है। घट रहा है। तालाबों की भूमि पर नगरों का विकास हो रहा है, जंगलो सफाया हो रहा है। वर्ष 1951 में प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता 0.46 हेक्टेयर थी जो 2001–02 में घटकर 0.16 हेक्टेयर रह गयी।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 2015 के आंकड़ों के अनुसार देश के 49 प्रतिशत किसान परिवार कर्ज से पीड़ित हैं। और उनमें से अधिकांशतः साहूकारों के चंगुल में थे। गरीब कर्जदार किसानों का सर्वाधिक (81%) आंध्रप्रदेश में है, उसके बाद तमिलनाडु (75%) का स्थान है। ज्यादातर सिंचित भूमि वाले प्रदेश पंजाब में भी कर्जदार किसानों का प्रतिशत 64 है और महाराष्ट्र में यह प्रतिशत 55 है। कृषिगत समस्याओं और बढ़ती कर्ज की समस्या के कारण किसान आत्म हत्याए कर रहे हैं। वर्ष 2015–16 में भारत में 15964 किसानों ने आत्म हत्या कर्ज में डूबने के कारण की साल दर साल हजारों किसान बढ़ते कर्ज का बोझ वहन नही कर पाते और खुद को मार डालते हैं। चाहे यह फसल की विफलता हो, लागत में वृद्धि हो, विचौलियों के हाथों शोषण हो सबकी कहानी समान है। छोटे और सीमांत किसान कृषि से पलायन कर भूमिहीन मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय कृषि भयावह संकट से गुजर रही है। जब देश में किसानों की यह दशा है तो कृषि उत्पादकता कैसे बढ़ेगी यह एक बहुत बड़ प्रश्न चिन्ह है? और बिना कृषि उत्पादन बढ़ाये भारत की इतनी विशाल जनसंख्या की खाद्य व पोषण की समस्या का समाधान आयातित अनाज के सहारे कर पाना संभव नही है। डॉ.एम.एस. स्वामीनाथन ने भी कृषि विकास दर पर असंतोष व्यक्त करते हुए

लिखा है कि ''फर्म इकोलाजी व इकोनामिक्स में संतुलन कायम नही कर पाने की वजह से ही राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 के अंतर्गत निर्धारित 4 प्रतिशत कृषि विकास दर पर्याप्त हो सका है। किसानों का कृषि से मोह भंग हो रहा है जो कि एक बड़ी समस्या व चुनौती है।'' जब खेत जोतने वाले बहुत से किसानों और ग्रामीणों को भर पेट रोटी नहीं मिलती तो खाद्य उपलब्धता बढ़ाने में

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत के दयनीय सामाजिक क्षेत्र की स्थिति की पुष्टि मानव विकास सूचकांक से स्पष्ट दिखाई पड़ती है। संयुक्त राष्ट्र उजागर होती हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की गयी मानव विकास रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं आश्चर्य की बात यह है कि इस सूचकांक में श्रीलंका एवं युद्ध की विभीषिका से गुजरने वाला इराक भी हमसे बेहतर है। मानव विकास का प्रमुख उद्देश्य वैश्विक स्तर पर एक ऐसे वातावरण को निर्माण बनाना करना है जहाँ लोग स्वस्थ्य और शिक्षित होकर न्यायपूर्ण जीवन जीते हुए जीवन को रचनात्मक बनाये रख सकें।

देश में जो कल्याणकारी योजनाएं संचालित है उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार इन योजनाओं के लाभ को अभावग्रस्त तबको तक नहीं पहुँचने दे रहा है। गरीबों को सस्ते दाम पर अनाज और अन्य जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराने वाली करीब 5 लाख सस्ते गल्ले की दुकानें देश में काम कर रही हैं। परन्तु ये वितरण प्रणाली की दुकानें भ्रष्टाचार और अनिश्चितताओं में ग्रसित है। बहुत से गरीबों के पास अभी तक लाल राशन कार्ड नही है और है भी तो उन्हें राशन नही मिलता है। इसी राशनकार्ड के जरिये गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वालों को सस्ता राशन मुहैया कराया जाता है। इसके तहत गेहूँ, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल सस्ते दरों पर उपलब्ध कराया जाता है।

भारत में छः हजार टन से अधिक अनाज गोदामों, सड़कों, व खलिहानों में बर्बाद हो रहा है। शीघ्र नाशवान फलों, सब्जी एवं दुग्ध की ग्रामीण क्षेत्रों में भण्डारण की उचित व्यवस्था नहीं है। इसी का परिणाम था कि उच्चतम न्यायालय ने साफ निर्देश दिया कि जिस देश के करोड़ों लोग भूख से बेहाल हैं वहाँ अन्न के एक दाने की बर्बादी भी अपराध की श्रेणी में आता है। हमारे देश में एक छोटे वर्ग के पास अपार धन संपदा एकत्रित हो रही है। जबकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा रोजी रोटी के लिए जूझ रहा है। देश में एक तरफ भूखे,

कुपोषित, बीमार बच्चों और बेरोजगार युवाओं की फौज तैयार हो रही है तो दूसरी तरफ सीमित लोगों द्वारा अति उपभोग से पर्यावरण की स्थिति क्षीण होती रही है।

भूमिगत जल का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। भूमि की उर्वरा शक्ति भी अधिक उत्पादन करने के लालच में कीटनाशकों व रासायनिक खादों के प्रयोग से कम होती जा रही है। इसका दुष्प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है खाद्यान्न सुरक्षा के लिए यह शुभ संकेत नही है। लगभग 2500 ई0पू0 में विकसित भारत की हड़प्पा सभ्यता का विनाश कृषि योग्य भूमि, भूमिगत जल और प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन और बढ़ती जनसंख्या के कारण ही हुआ था। एक और चिंताजनक तथ्य भारत के कृषि उत्पादकता पर जलवायु का संभावित नकारात्मक प्रभाव हो सकते है। वैश्विक तपन और जलवायु परिवर्तन सिंचाई की उपलब्धता, मिट्टी की उर्वरता एवं पशुधन उत्पाद सहित कृषि के कई पहलुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना बतायी गयी है। आई.सी.ए.आर. की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रक्षेपित प्रभाव के अनुसार खाद्यान्नों की उत्पादकता में तापमान के बढ़ने और जल उलब्धता के घटने से कमी आयेगी।

उपर्युक्त समस्याएं खाद्य सुरक्षा के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा हैं, बिना इनके उपयुक्त समाधान के भारत जैसे विशाल देश की समस्त जनसंख्या की उदरपूर्ति और उपयुक्त पोषण उपलब्ध कराना संभव नही है।

भारत में खाद्य सुरक्षा हेतु किये गये सरकारी प्रयास

सन् 1992 में सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को अधिक लक्ष्योन्मुख करके गरीब परिवारों को लाभान्वित करने का फैसला किया गया। सन् 1997 में इस प्रणाली के अंतर्गत गरीब वर्ग को खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान करने हेतु बी.पी.एल. कार्ड जारी करके कम कीमत पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किया गया। वर्ष 2000 में अंत्योदय अन्न योजना प्रारम्भ की गयी। इसके तहत 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों को 25 किग्रा अनाज विशेष रियायती दरों पर प्रदान करने का प्राविधान किया गया है। जुलाई 2000 में सर्वप्रिय राष्ट्रीय योजना शुरू की गयी जिसके तहत खाद्यान्नों के अतिरिक्त ''अन्य वस्तुएं दाल, नमक, चाय, नहाने का साबुन, तेल आदि सस्ते दर पर उपलब्ध कराया जाता है।'' वर्ष 2001 में ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्यान्न बैंकों की स्थापना का प्राविधान किया गया ताकि प्राकृतिक प्रकोप या आर्थिक तंगी के दौरान गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को निःशुल्क

खाद्यान्न पद्रान किया जाये। मजदूर वर्ग को खाद्य सुरक्षा एवं रोजगार सुरक्षा प्रदान करने हेतु वर्ष 2004 में काम के बदले अनाज योजना प्रारम्भ गयी, जिसे वर्तमान में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में समन्वित किया जा चुका है। गरीब व बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करने हेतु समन्वित ग्रामीण विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जैसी योजनाएं संचालित हो रही है। वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पोषण नीति प्रारम्भ की गयी। इस योजना का मूल उद्देश्य छोटे बच्चों में कुपोषण, अल्प पोषण का स्तर कम करना, विटामिन ए की कमी को नियंत्रित करके अंधता पर रोक लगाना, गर्भवती महिलाओं के पोषण व्यवस्था के प्राविधान जैसे तत्वों को सम्मिलित किया गया है। जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, एकीकृत बाल विकास, किशोरी शक्ति योजना, पोषाहार, मध्याह्न भोजन आदि कार्यक्रम गरीबों के स्वास्थ्य, संतुलित व पूर्ण विकास को सुनिश्चित करने हेतु चलाया जा रहा है।

खाद्य सुरक्षा हेतु उपाय

खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु ऊपर वर्णित समस्याओं का समाधान एवं अधोलिखित उपाय कारगर साबित हो सकते हैं:–

(क) सतत् कृषि विकास :– हमारे देश में कृषि खाद्यान्न उत्पादन का साधन ही नहीं बल्कि अधिकांश का जीविका का साधन है। अतः हमें अपने ही उत्पादित अनाज के आधार पर खाद्य सुरक्षा विकसित करने की आवश्यकता है। हमें कृषि का ऐसा विकास करना होगा जिससे अनाजों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़े और भूमि तथा पर्यावरण की कम से कम क्षति हो। कृषि का अब क्षैतिज विस्तार संभव नही। अतः भारत की वृद्धिमान जनसंख्या की उदरपूर्ति हेतु हमें कृषि का उर्ध्वाधर विकास करना होगा परन्तु कृषि के उद्धर्वाधर विकास के समय कृषि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। स्वामीनाथन का मानना है कि भारत जैसे कृषि

प्रधान देश के लिए अनाज आयात करने के वही कुप्रभाव हो सकते हैं जो बेरोजगारी आयात करने से हो सकते हैं और इसके कारण कृषि संबंधी मुश्किलें और बढ़ जायेगी (एम0एस0 स्वामीनाथन 2010)। देश में अधिकांश दलहनी और तिलहनी फसलों का उत्पादन वर्षा सिंचित क्षेत्रों में किया जाता है। अतः इसके उत्पादन बढ़ाने हेतु वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण

प्रबंधन की आवश्यकता है। जैविक कृषि, शुष्क कृषि, कृषि शोध व विस्तार को अधिक प्राथमिकता देकर कृषि को लाभप्रद व्यवसाय के रूप में परिवर्तित करना जैसे सार्थक प्रयास अपेक्षित हैं। मृदा पोषण एवं प्रबंधन सतत कृषि विकास का अनिवार्य पक्ष है। रासायनिक उर्वरकों एवं जैविक उर्वरक के उचित अनुपात का सही प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जाये जहाँ पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध हो। जैव उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए वर्षा–सिंचित क्षेत्रों में मोटे अनाजों को उत्पादित किया जाना चाहिऐ क्योंकि ये वहां के पारिस्थितिकी अनुकूल होने के साथ–साथ पोषण की दृष्टि से काफी लाभप्रद है। जैव उर्वरकों को प्रादेशिक स्तर पर तैयार करना और उसके पयोग को प्रोत्साहित करना होगा। हमें आनुवांशिक विविधता, कीट प्रबंधन, कटाई के बाद की प्रणालियाँ और कृषि वानिकी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के द्वारा कुपोषण की समस्या दूर की जा सकती है। हमें फल उत्पादन के अनुकूल क्षेत्रों में इनके उत्पादन में वृद्धि की महती आवश्यकता है। क्षारीय क्षेत्रों में बागवानी, पशुपालन, कृषि वानिकी आदि के द्वारा जीविका के साधन के साथ पोषण सुरक्षा भी बढ़ेगी।

मानव पोषण सुरक्षा के लिए पशु खाद्य सुरक्षा भी जरूरी है। हमें चारा और खाद्य सुरक्षा योजना विकसित करनी चाहिए जिसके जरिये डेयरी और कुक्कुट उद्योग, भेड़–पालन आदि कृषि आधारित उद्योगों की सुरक्षा की जा सके। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु, प्रयास की जरूरत है।

देश में कृषि अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ करने की दिशा में व्यापक निवेश व प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। हमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में प्रति हेक्टेयर अनाज का उत्पादन बढ़ाना होगा। इन राज्यों में सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था एवं बाढ़ों पर नियंत्रण करके कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। पानी की बहुलता वाले ये प्रदेश जो परम्परा से पिछली कई सदियों से भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध इलाके हुआ करते थे आज सबसे गरीब इलाके में तब्दील हो गये हैं। यहाँ भूमि ओर जल प्रबन्धन की अपरिहार्यता है। तटीय क्षेत्रों में ऐसी फसले विकसित करके उत्पादित की जानी चाहिये जो खारेपन को बर्दाश्त कर सकें। अगर जलवायु परिवर्तन होता है तो यह हमारी कृषि के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अतः इस संभावित समस्या के निराकरण हेतु पहले से ही तैयार रहना होगा और ऐसे बीज एवं कृषि प्रणालियाँ विकसित करनी होगी हो

समयानुसार जलवायविक परिस्थितियों में अधिक उत्पादन प्रदान कर सके। चावल की ऐसी किस्में विकसित करनी होगी जो पानी में डूबने पर भी

जीवित रहें। खाद्य सुरक्षा हेतु जितना जरूरी उत्पादन बढ़ाना है उतना ही कृषि उत्पादों के भण्डारण की उचित व्यवस्था करना है। आधुनिक प्रौद्योगिक पर आधारित भडारण सुविधाओं का एक राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित किये जाने की जरूरत है जिसमें अनाज और जल्दी खराब होने वाली फसलों के सुरक्षित भण्डार की व्यवस्था हो। इन गोदामों के बनने से खाद्यान्नों के बर्बादी को रोकने के साथ–साथ किसानों को अपने उत्पाद को जल्दबाजी में बेचने की समस्या से छुटकारा दिलाया जा सकता है।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कमियों को ठीक करनाः–

12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिपत्र में जनवितरण प्रणाली को लेकर जो रूपरेखा तैयार की गयी है इसके तहत ग्रामीण इलाके की 75 प्रतिशत आबादी को लाने की बात कही गयी है जिसमें 46 प्रतिशत को प्राथमिकता दी जायेगी। इसमें 50 प्रतिशत शहरी आबादी को सम्मिलत करने की योजना है जिसमें 28 प्रतिशत को वरीयता प्रदान की जायेगी। खाद्य सुरक्षा योजना बनाने मात्र से सब संभव नही है। समुचित व न्यायपूर्ण खाद्य वितरण व्यवस्था के द्वारा ही गरीबों तक अनाज पहुँचना संभव है। सरकार को पूर्ण खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नये कानून में आवश्यक संशोधन करना चाहिये और साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौम और मजबूत करना ही जरूरी है। यह भी ध्यान देना हेागा कि समाज के प्रत्येक भूख से पीड़ित व्यक्ति को निर्धारित मूल्य पर निर्धारित मात्रा में खाद्य सामग्री समय पर उपलब्ध हो।

(ग) गरीबी निवारण कार्यक्रमों एवं पोषण से सम्बन्धित

योजनाओं का क्रियान्वयनः–गरीबी में अपेक्षित कमी करके की खाद्य सुरक्षा की चुनौती का समाधान किया जा सकता है। गरीबी उन्मूलन के लिए मनरेगा जैसे कार्यक्रमों एवं पोषण से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों को सभी राज्यों के प्रत्येक गाँवों में ईमानदारी से क्रियान्वित किये जाने की जरूरत है। जिससे गरीबों को रोजगार की गारंटी, दो वक्त का भोजन और गरीब बच्चों को संतुलित आहार प्राप्त हो सकें। सभी गरीब बेसहारा लोगों की सही पहचान करके उन्हें खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम से जोड़कर ही भूख की समस्या का हल ढूँढ़ा जा सकता है।

भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में ठोस व कठोर कार्यवाही करके ही सबको खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा सकती है।

इन सबके अतिरिक्त सरकार को किसानों की आत्म हत्याओं के पीछे के दर्द को समझकर उनके कल्याण हेतु ठोस उपाय करने होंगे। हमें कृषकों के जमीन, जल, प्रौद्योगिकी, ऋण सुविधायें, बीमा तथा विपणन की जरूरतें पूरी करनी होगी। किसानों खासकर महिला किसानों के लिए केन्द्रीय कृषि कोष की स्थापना करनी होगी जो इनके लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और वृद्धावस्था पेंशन आदि पर ध्यान दें। उपर्युक्त नीतिगत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूप से सशक्त लोगों एवं सामाजिक संस्थाओं को यह ध्यान देना होगा कि भूख से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक खाद्य पदार्थ अवश्य मिले।

संदर्भ

1. अनीता देवी (2010), खाद्य सुरक्षा एक ज्वलंत समस्य योजना, वर्ष 54 अंक 10, पृष्ठ 27–29
2. (2014) अमर उजाला 11 जनवरी
3. गौरव कुमार (2011) बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उपलब्धता योजना, वर्ष 55 अंक 7 जुलाई पृष्ठ 35–36 (2014) दैनिक जागरण 25 नवम्बर (2015) दैनिक जागरण 25 जनवरी (2015) हिन्दुस्तान 12 जनवरी
4. एम.एस. स्वामीनाथन (2010) सबके लिए सतत खाद्य सुरक्षा योजना, अक्टूबर, वर्ष 54, अंक 10 पृष्ठ 5–8
5. एम.एस. स्वामीनाथन (2012) कृषि का सतत विकास, योजना, जनवरी, वर्ष 56, अंक 1, पृष्ठ 25–28
6. योजना अगस्त 2015।
7. कूरूक्षेत्र अक्टूबर 2015